अध्याय-1

अवलोकन

अध्याय 1

अवलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 29.76 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह देश का 16वाँ सबसे बड़ा राज्य है तथा राज्य में 24 जिले हैं।

झारखण्ड विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। वृहत खनिज संसाधन कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताँबा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है। मार्च 2023 तक राज्य में वृहत खनिजों के 121 खदानें, लघु खनिजों के 589 खदानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या विगत 10 वर्षों में 15.25 प्रतिशत से बढ़ा जो वर्ष 2014 में 3.47 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2024 में चार करोड़ हो गई। 2024 में राज्य का जनसंख्या घनत्व 501.32 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था जो राष्ट्रीय औसत 426.09 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.40 प्रतिशत थी।

1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी.एस.डी.पी. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समय सीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

जी.एस.डी.पी. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दर्शाती है।

उपलब्ध नई श्रृंखला के अनुसार, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के जी.एस.डी.पी. आँकड़ों में बदलाव हुआ है। तदनुसार, विगत वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित प्रासंगिक वर्षों के लिए प्रासंगिक तालिकाओं में प्रतिशत/अनुपात में बदलाव आया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए देश की जी.डी.पी. की तुलना में झारखण्ड की जी.एस.डी.पी. की वार्षिक वृद्धि और जी.एस.डी.पी. में क्षेत्रीय वृद्धि के रूझान **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: जी.डी.पी. की तुलना में जी.एस.डी.पी. में रूझान
(वर्तमान मूल्य पर)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत					
जी.डी.पी. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	2,01,03,593	1,98,54,096	2,35,97,399	2,69,49,646	2,95,35,667
जी.वी.ए.	1,83,81,117	1,82,10,997	2,16,35,584	2,46,59,041	2,67,62,147
पिछले वर्ष की तुलना में जी.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.37	-1.24	18.85	14.21	9.60
पिछले वर्ष की तुलना में जी.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.02	-0.93	18.81	13.97	8.53
प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. (₹ में)	1,49,915	1,46,480	1,72,422	1,94,879	2,11,725
झारखण्ड					
जी.एस.डी.पी. (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	3,10,305	2,96,664	3,76,127	4,17,361	4,61,010
जी.एस.वी.ए.	2,83,196	2,75,196	3,48,511	3,74,904	4,10,294
पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.51	-4.40	26.79	10.96	10.46
पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.वी.ए. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	1.57	-2.82	26.64	7.57	9.44
प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. (₹ में)	82,276	77,561	97,035	1,06,310	1,15,960

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार और योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) ₹ 4,61,010 करोड़ था और मौजूदा कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में जी.डी.पी. ₹ 2,95,35,667 करोड़ थी। इसके अलावे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ₹ 1,15,960 थी जबकि देश की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. ₹ 2,11,725 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. में वृद्धि (9.08 प्रतिशत) उसी वर्ष के दौरान देश की प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. में वृद्धि (8.64 प्रतिशत) से अधिक थी। जैसा कि **तालिका 1.1** से देखा जा सकता है, झारखण्ड की जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। हालाँकि, 2023-24 के दौरान वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग अपरिवर्तित रही।

सकल मूल्य वर्धित (जी.वी.ए.) का उपयोग भारत सरकार तथा आई.एम.एफ. और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जी.वी.ए. को जी.डी.पी. की तुलना में आर्थिक विकास का एक बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जहाँ तक निवल करों के उपचार का सवाल है, दोनों पैमाने अलग-अलग हैं। इसलिए, किसी नीति-निर्माता के दृष्टिकोण से, बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप निर्माण के लिए जी.वी.ए. और सकल राज्य मूल्य वर्धित (जी.एस.वी.ए.) आँकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए जी.एस.डी.पी. और जी.एस.वी.ए. के रुझान **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.1: जी.एस.डी.पी. बनाम जी.एस.वी.ए. का वृद्धि दर (वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24)

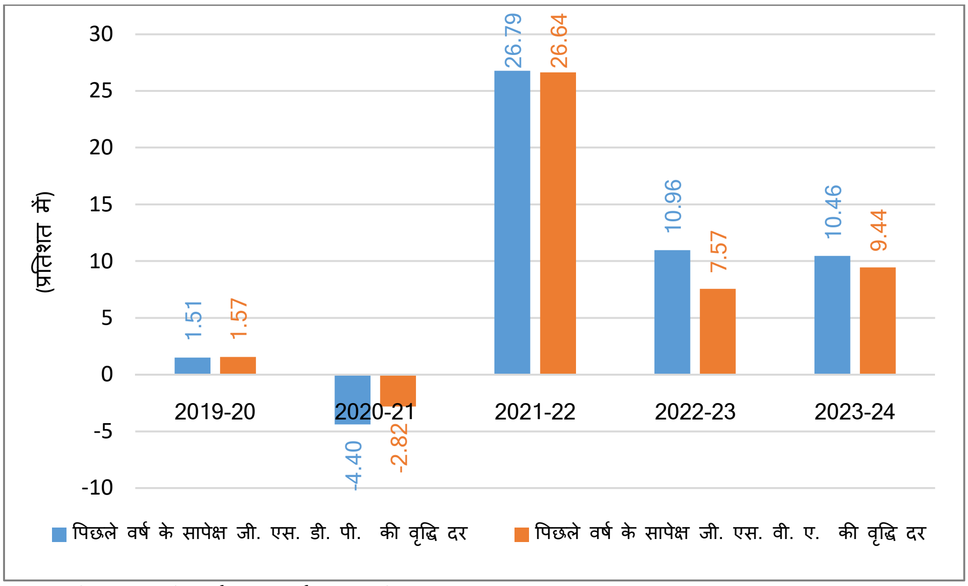

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

1.1.2 जी.एस.डी.पी. में क्षेत्र-वार योगदान

चार्ट 1.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जी.एस.डी.पी. में क्षेत्र-वार योगदान को दर्शाता है। 2023-24 के दौरान, जी.एस.डी.पी. में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र था एवं उसके बाद सेवा क्षेत्र था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उद्योग क्षेत्र का योगदान उच्चतम था जो वर्ष 2023-24 के दौरान गिरकर 8.50 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 1.2: जी.एस.डी.पी. में क्षेत्र-वार वृद्धि

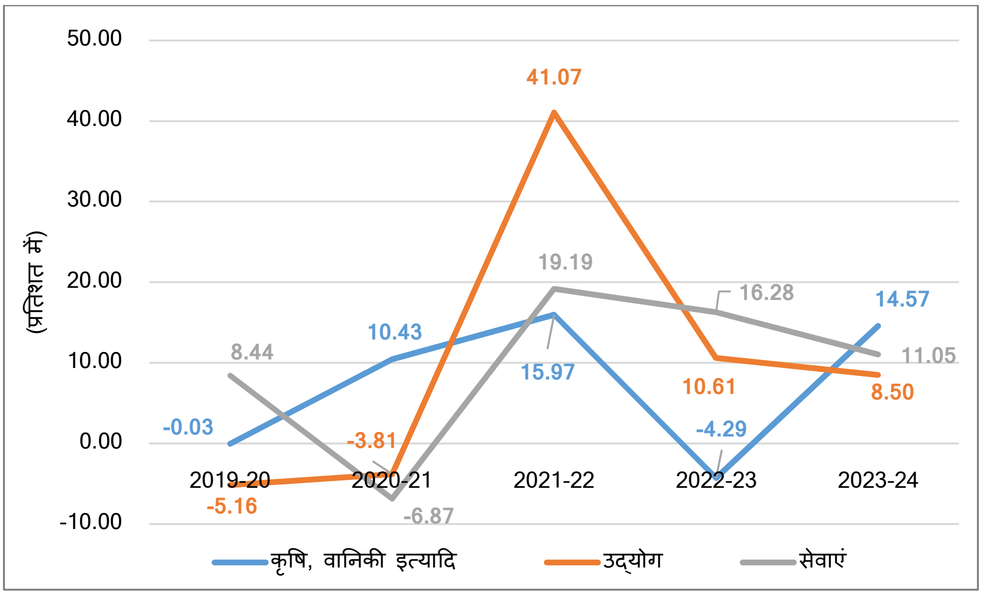

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि **चार्ट 1.2** से देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी में सभी क्षेत्रों का योगदान काफी बढ़ गया, जिसका कारण 2020-21 (कोविड वर्ष) का कम आधार था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्रों का योगदान कम हुआ, जबकि कृषि क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.एफ.ए.आर.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे को वार्षिक रूप से संकलित करते हैं, जो कोषागारों, कार्यालयों और ऐसे लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों और प्रारंभिक तथा सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से तैयार किए जाते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- बजट के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े;
- जी.एस.डी.पी. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग के अनुशंसाओं, राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के साथ दिनांक 28 मई 2024 को प्रवेश सम्मेलन हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया। दिनांक 22 अगस्त 2024 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को उत्तर/टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार (6 दिसंबर 2024) को भेजा गया था, जिसका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

1.3 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता हैः

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के अदायगी से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का अदायगी इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारित व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा दत्तमत होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को डेबिट कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में प्रतिदेय जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, रक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम बुकिंग लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष है) शामिल होते हैं। लोक लेखा में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

बजट दस्तावेज

वार्षिक वित्तीय विवरण: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह "वार्षिक वित्तीय विवरण" मूल बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। आगे, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते है) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम इत्यादि और
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में निवेश तथा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल है।

सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है, जैसा नीचे दर्शाया गया हैं।

	लेन-देन की आकृति	**वर्गीकरण**
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच* में मानकीकृत	कार्य: शिक्षा, स्वास्थ्य आदि	अनुदान अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु-शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत-शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/क्रियाकलाप	वस्तु-शीर्ष: वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंकीय)

**मुख्य और लघु शीर्षों की सूची*

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजीगत, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ, 2 और 3 राजस्व व्यय इत्यादि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। सरकारी खातों की संरचना का चित्रात्मक वर्णन **चार्ट 1.3** में दिया गया है। वित्त लेखे के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.1 भाग ख एवं ग** में दिये गए हैं।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखे की संरचना

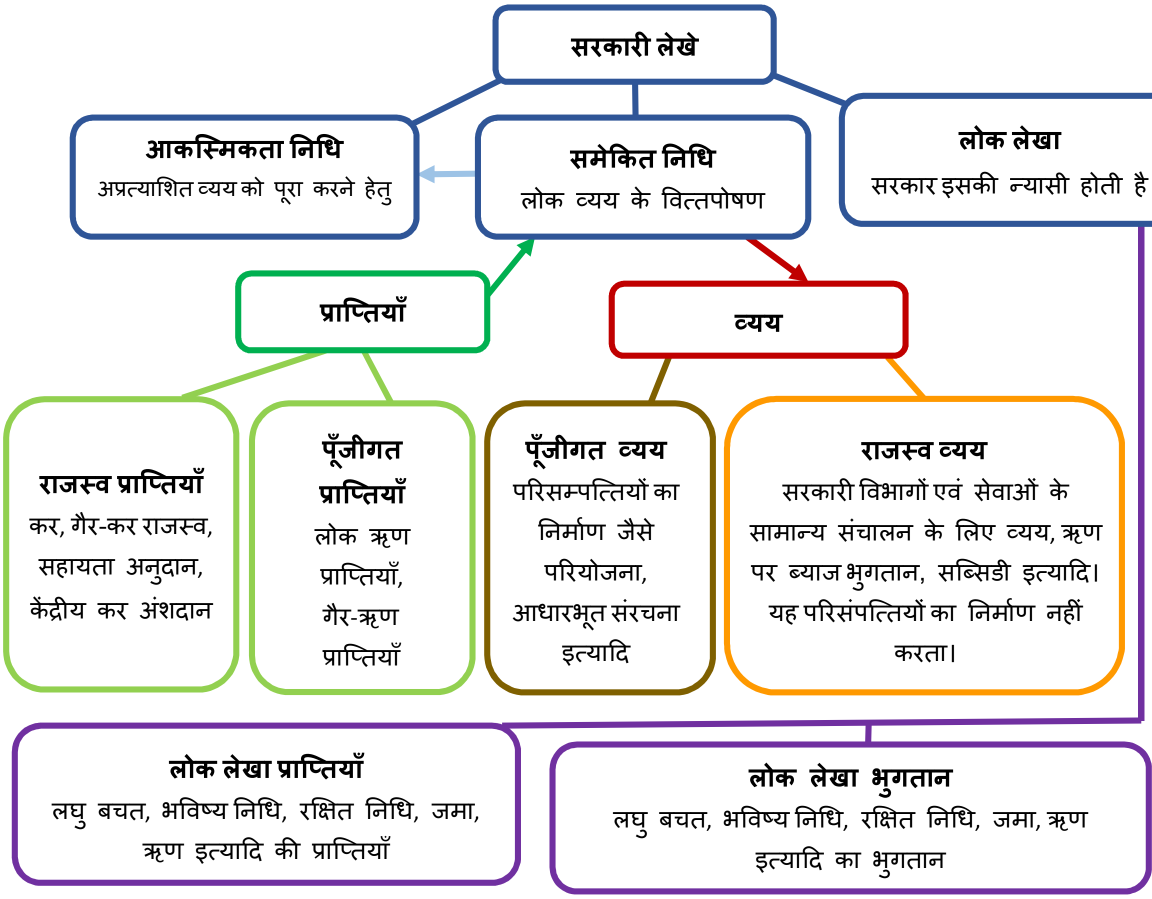

लोक ऋण एवं लोक दायित्व: इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' में बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एन.एस.एस.एफ.) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया ऋण आदि शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए मुख्य शीर्ष 6003 और 6004-लोक ऋण विचारणीय है।

आगे, लोक लेखा के अंतर्गत लघु बचत, भविष्य निधि आदि, "रक्षित निधि" और 'जमा एवं अग्रिम' से संबंधित लेन-देन ऐसे होते है जहाँ सरकार प्राप्त निधि को चुकाने के लिए बाध्य होती है या भुगतान की गई राशि वसूलने का दावा करती है। लोक लेखा के अंतर्गत "प्रेषण" और "उचंत" से संबंधित लेन-देन में केवल समायोजन शीर्ष शामिल है जैसा कि विभिन्न लेखांकन सर्किलों के बीच अंतरण एवं कोषागारों और मुद्रा कोष के बीच नकदी का प्रेषण।

इस प्रतिवेदन में 'लोक दायित्व' में मुख्य शीर्ष 8001 से 8554 के अंतर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि' तथा 'रक्षित निधि और जमा एवं अग्रिम' के लेन-देन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अंतर्गत लेन-देन को शामिल किया गया है।

बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में, राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत है।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के वास्तविक आँकड़ों के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्त परिणामों का विवरण प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.2: बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक वित्त परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट आकलन)	2023-24 (वास्तविक)	बजट आकलन से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	56,521.63	64,639.29	65,357.12	101.11	14.18
(i)	स्वयं कर राजस्व	25,117.51	30,860.00	28,004.77	90.75	6.07
(ii)	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	31,404.12	33,779.29	37,352.35	110.58	8.10
2	गैर-कर राजस्व	12,830.05	17,259.44	13,425.12	77.78	2.91
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	10,893.54	16,438.42	9,146.26	55.64	1.98
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**80,245.22**	**98,337.15**	**87,928.50**	**89.42**	**19.07**
5	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	46.41	80.85	7,276.70	9,000.25	1.58
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ऋण एवं अन्य देनदारियाँ[$]	4,616.73[&]	11,674.57	6,331.76*	54.24	1.37
8	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**4,663.14**	**11,755.42**	**13,608.46**	**115.76**	**2.95**
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**84,908.36**	**1,10,092.57**	**1,01,536.96**	**92.23**	**22.02**
10	राजस्व व्यय	66,681.63	84,676.00	76,676.42	90.55	16.63
11	ब्याज भुगतान[#]	6,238.29	6,787.09	6,838.95	100.76	1.48
12	पूँजीगत व्यय	14,015.59	21,248.47	20,569.69	96.81	4.46
13	ऋण एवं अग्रिम	4,211.14	4,168.10	4,290.85	102.94	0.93
14	**कुल व्यय** (10+12+13)	**84,908.36**	**1,10,092.57**	**1,01,536.96**	**92.23**	**22.02**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2022-23 (वास्तविक)	2023-24 (बजट आकलन)	2023-24 (वास्तविक)	बजट आकलन से वास्तविक की प्रतिशतता	जी.एस.डी.पी. से वास्तविक की प्रतिशतता
15	राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य(+) (4-10)	13,563.59	13,661.15	11,252.08	82.37	2.44
16	राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) {(4+5+6)-14}	-4,616.73	-11,674.57	-6,331.76	54.24	-1.37
17	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (16-11)	1,621.56	-4,887.48	507.19	-10.38	0.11

स्रोतः वित्त लेखे

$ उधार और अन्य देनदारियां: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियां- संवितरण) + प्रारंभिक एवं अंत रोकड़ का निवल शेष

& पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 2,964.32 करोड़ शामिल हैं।

** पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2023 -24 के दौरान प्राप्त ₹ 4,580.61 करोड़ शामिल हैं।*

 # क्र.सं. 10 पर दिखाए गए राजस्व व्यय में शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ 9.57 प्रतिशत बढी जबकि यह बजट अनुमान की तुलना में 10.58 प्रतिशत से कम रही। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि 14.99 प्रतिशत थी। हालाँकि, यह बजट अनुमान से ₹ 7,999.58 करोड़ कम थी। आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 11,252.08 करोड़ का राजस्व अधिशेष था।

जी.एस.टी मुआवजा, जी.एस.टी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य को राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 165.63 करोड़ के जी.एस.टी मुआवजे की प्राप्ति हुई।

तालिका 1.3 वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्व और पूँजीगत लेखाओं पर प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृतियाँ

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्ति के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2019-20	58,417	56,457	96.64	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27
2021-22	69,722	62,778	90.04	11,132	9,377	84.23
2022-23	80,245	66,682	83.10	9,189	14,016	152.53
2023-24	87,929	76,676	87.20	15,524	20,570	132.50

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत पिछले वर्ष (83.10 प्रतिशत) की तुलना में बढ़ा (87.20 प्रतिशत)।
- जबकि 2023-24 में पूँजीगत प्राप्तियां और व्यय दोनों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई, पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2022-23

में 152.53 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 132.50 प्रतिशत हो गया।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूँजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से 'परिवहन' (₹ 1,822 करोड़ से), 'जलापूर्ति और स्वच्छता' (₹ 1,528 करोड़ से), 'ग्रामीण विकास' (₹ 1,295 करोड़ से) और 'ऊर्जा' (₹ 1,452 करोड़ से) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जिसकी भरपाई 'शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति' (₹ 265 करोड़ से) पर कम व्यय से हुई। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूँजीगत व्यय, ₹ 21,248 करोड़ के बजट प्रावधान से कम था।

- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से ऋण की अव्ययित शेष राशि की वसूली के कारण 2023-24 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1.3.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्त देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यत: आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे और रक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ					परिसंपत्तियाँ				
		2022-23	2023-24	वृद्धि प्रतिशत			2022-23	2023-24	वृद्धि प्रतिशत
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	73,580.43	70,658.82	-3.97	क	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,19,410.18	1,39,979.87	17.23
ख	भारत सरकार* से ऋण एवं अग्रिम	11,363.95	16,148.68	42.10	ख	ऋण एवं अग्रिम	28,513.21	25,527.35	-10.47
आकस्मिक निधि		**500.00**	**500.00**	**0.00**					
लोक लेखा									
क	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,016.98	1,557.43	53.14	क	अग्रिम	17.66	0.00	-100.00
ख	जमा	26,955.09	30,847.92	14.44	ख	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
ग	रक्षित निधियाँ	6,535.66	10,666.62	63.21	ग	उचंत एवं विविध	0.00	0.00	0.00
घ	प्रेषण	76.55	48.08	-37.19	नकद शेष (कर्णांकित निधि में निवेश सहित)		6,682.68	10,735.61	60.65
ङ	उचंत एवं विविध	412.70	380.83	-7.72	राजस्व लेखा में घाटा		-	-	-
व्यय से प्राप्तियों का संचयी आधिक्य		34,182.37	45,434.45	32.92					
कुल		**1,54,623.73**	**1,76,242.83**	**13.98**	**कुल**		**1,54,623.73**	**1,76,242.83**	**13.98**

स्रोत: वित्त लेखें

1.4 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व एकत्र करने से अधिक व्यय करती है, तो उसे घाटा होता है। ऐसे अनेक मापदंड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तो सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को एक प्रवाह माना जाता है जो ऋण के स्टॉक में जुड़ता जाता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संग्रहण होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक से अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण में योगदान देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में बॉण्ड जारी करके उधार लेता है, लेकिन करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके उस बाण्ड का भुगतान बहुत बाद में करने का निर्णय ले सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधार निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, ऋण भावी पीढ़ियों पर ''बोझ'' के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, सरकारी घाटा अगर उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होती है और इसलिए अधिक बचत होती है। ऐसे में, सरकार और उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते है। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढ़ाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी को लाभ मिल सकता है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। जब तक उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है, तब इस ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य का जी.डी.पी.) की वृद्धि से आँकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, रुझान मुख्यतः जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। इसे कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2007 पारित किया था, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे को समाप्त करके, राजकोषीय घाटे और कुल/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करके, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करके और मध्यम अवधि के ढांचे में पारदर्शिता में सुधार करके राजकोषीय प्रबंधन में विवेक सुनिश्चित करना था। इस संदर्भ में, अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तरों के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए राज्य के राजकोषीय समेकन पर भारत सरकार की नीति के अनुसरण में, नवम्बर 2021 में झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में संशोधन किया गया।

नवंबर 2021 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित जीएसडीपी के 4 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए 3 प्रतिशत तक कम करना था। बिजली क्षेत्र में सुधारों के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे को अनुमानित जीएसडीपी के अतिरिक्त 0.50 प्रतिशत तक कम किया जाना था।

1.4.1 राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना (एम.टी.एफ.पी.) में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदंडों से संबंधित लक्ष्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान उपलब्धियाँ **तालिका 1.5** में दी गई हैं।

तालिका 1.5: एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत राज्य के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजस्व घाटा/(-) अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	लक्ष्य	शून्य				
	वास्तविक	1,960	-3,114	6,944	13,564	11,252
	प्राप्ति	✓	✗	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा/(-) अधिशेष (+) (जी.एस.डी.पी. के प्रतिशतता के रूप में)	लक्ष्य(प्रतिशत) तीन प्रतिशत (2020-21 के लिए 5 प्रतिशत, 2021-22 के लिए 4 प्रतिशत, 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत एवं 2023-24 के लिए 3 प्रतिशत)	-3.00	-5.00	-4.00	-3.50	-3.00
	वास्तविक	8,035 (-2.59)	14,911 (-5.03)	2,604 (-0.69)	4,617 (-1.11)	6,332 (-1.37)
	प्राप्ति	✓	✗	✓	✓	✓
जी.एस.डी.पी. से कुल बकाया देयताओ का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	27.10	27.00	33.00	33.15	30.60
	वास्तविक	30.42	36.23#	29.51#	28.38	27.68
	प्राप्ति	✗	✗	✓	✓	✓

#इसमें जी.एस.टी. मुआवजे में कमी के एवज में भारत सरकार द्वारा बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 1,689.00 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ शामिल नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य में राजस्व अधिशेष था। वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर, वित्तीय

वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजकोषीय घाटा भी निर्धारित लक्ष्य से कम था। जी.एस.डी.पी. से बकाया देयता का अनुपात वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी. में निर्धारित मानदंडों को पार कर गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान यह लक्ष्य के भीतर था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 15वें वित्त आयोग (एफएफसी) द्वारा निर्धारित लक्ष्य और राज्य बजट में अनुमानित लक्ष्य के सापेक्ष में जीएसडीपी के संदर्भ में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों की उपलब्धियां **तालिका 1.6** में दिए गए हैं।

तालिका: 1.6: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख राजकोषीय समुच्चय के संबंध में लक्ष्य बनाम उपलब्धियाँ

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2023-24			वास्तविक (लेखापरीक्षा के पश्चात)
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	वास्तविक	
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष (+)	शून्य	शून्य	2.44	2.40
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष (+)	-3.00	-3.00	-1.37	-1.41
जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	37.40	30.60	27.68	27.72

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय राजकोषीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी को निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लिए तीन वर्ष का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी. में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किए गए अनुमानों के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के सापेक्ष में वास्तविकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्ती	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2023-24)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	30,860	28,005	-9.25
2	गैर-कर राजस्व	17,260	13,425	-22.22
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	33,779	37,352	10.58
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	16,438	9,146	-44.36
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,14,776	87,929	-23.39
6	राजस्व व्यय	84,676	76,677	-9.45
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) (5-6)	13,661	11,252	-17.64
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	-11,675	-6,332	-45.76
9	देनदारी/ जी.एस.डी.पी. अनुपात (प्रतिशत)	27.00	27.68	2.52
10	वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.70	10.46	20.23

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है, मुख्य रूप से राज्य द्वारा अनुमानित गैर-कर राजस्व का कम संग्रह तथा भारत सरकार से सहायता-अनुदान की कम प्राप्तियाँ के कारण राज्य की राजस्व प्राप्ति एम.टी.एफ.पी लक्ष्य से कम रही।

1.4.2 घाटे/अधिशेष की प्रवृतियाँ

चार्ट 1.4 एवं **चार्ट 1.5** क्रमश: 2019-24 की अवधि में जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष घाटे के मांपदंडों और प्रवृतियों को प्रस्तुत करते है।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड की प्रवृत्ति

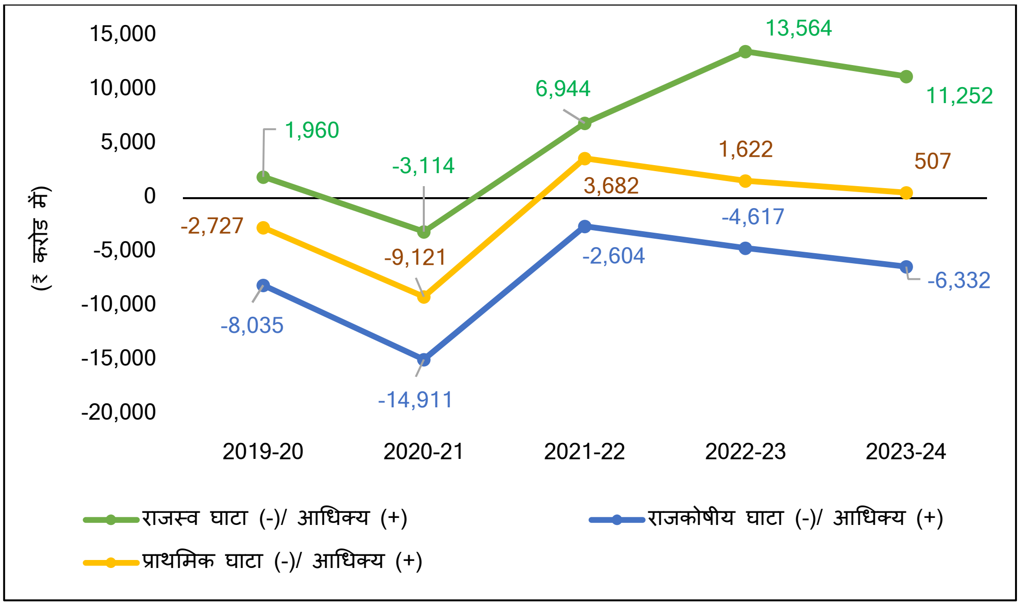

चार्ट 1.5: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति

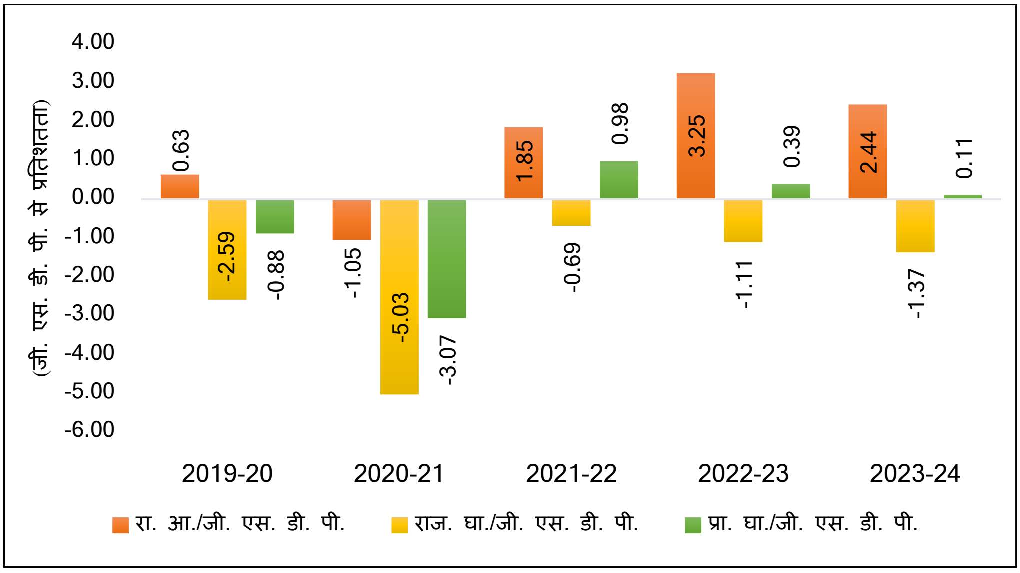

राज्य अपने प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के संबंध में वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों और अपने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 6,944 का राजस्व अधिशेष वित्तीय वर्ष

2023-24 में बढ़कर ₹ 11,252 करोड़ हो गया। हालांकि, राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 2,604 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 6,332 करोड़ (जी.एस.डी.पी का 1.37 प्रतिशत) हो गया, बावजूद इसके वह वित्त आयोग तथा राज्य के एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 3,682 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 507 करोड़ हो गया।

1.5 लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षण के पश्चात घाटा

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों, जैसे घाटा, देनदारियों की सीमा और गारंटी आदि के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य के लिए गणना की गई राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे कि राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय और ऑफ-बजट राजकोषीय संचालन के रूप में गलत वर्गीकरण से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, ह्रास निधि और प्रत्याभूति मोचन निधि आदि में कम योगदान भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, राजस्व व्यय/पूँजी परिव्यय और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को शामिल करने की आवश्यकता है और ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की जरूरत है। लेखापरीक्षा में समीक्षा के बाद घाटे का विश्लेषण **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
		(₹ करोड़ में)	
2023-24 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के कम/गैर-अंतरण	93.91	93.91	2.5.3
2023-24 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	94.46	94.46	2.5.2
कुल	**188.37**	**188.37**	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

जैसा कि **तालिका 1.8** से देखा जा सकता है कि चालू वर्ष में राजस्व अधिशेष में ₹ 188.37 करोड़ अत्योक्ति हुई और राजकोषीय घाटा में ₹ 188.37 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। इस प्रकार, यदि उपर्युक्त मदों को ध्यान में रखा जाए, तो राज्य का वास्तविक राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 11,252.08 करोड़ और ₹ 6,331.76 करोड़ के बजाय ₹ 11,063.71 करोड़ और ₹ 6,520.13 करोड़ होगा।

1.6 कुल देनदारियाँ

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007 के अनुसार, कुल देनदारियों का अर्थ राज्य के समेकित निधि और लोक लेखा के तहत देनदारियाँ हैं। बकाया ऋण/ देनदारियों को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: 31 मार्च 2024 तक बकाया देनदारियों के घटक

वित्त लेखा के अनुसार ऋण एवं अन्य देनदारियाँ	राशि (₹ करोड़ में)
आंतरिक ऋण (क)	**70,658.82**
ब्याज सहित बाजार ऋण	53,862.67
ब्याज रहित बाजार ऋण	0.02
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड	3,892.05
अन्य संस्थानों आदि से ऋण	8,389.86
केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	4,478.43
अन्य ऋण	35.79
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ख)	**16,148.67**
गैर-योजना ऋण	7.09
राज्य योजनाओं के लिए ऋण	1,178.94
अन्य	14,962.64
लोक लेखा पर देनदारियाँ (ग)	**39,788.10**
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,557.43
जमा एवं अग्रिम	30,847.92
रक्षित निधि	8,395.66
कुल (क+ख+ग)	**1,27,608.51**

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में, राज्य की बकाया देनदारियों में प्रमुख योगदानकर्ता 'आंतरिक ऋण' के तहत ब्याज वाले बाजार ऋण (₹ 53,862.67 करोड़) और लोक खाते के तहत 'जमा और अग्रिम' (₹ 30,847.92 करोड़) थे।